तारीख हुक्म	
22.11.16	पत्रावली पेश हुई। वादीगण उपस्थित। प्रथम दृष्टया प्रमाण के अभाव में वाद खारिज की जाती। वादी के कहने पर पत्रावली दिनांक 24-11-16 को पेश हो।
24-11-16	पत्रावली पेश हुई। वादीगण उपस्थित नहीं। वादीगण व वादीगण के वकील उपस्थित नहीं। वादीगण व वादीगण के वकील को कितनी ही मर्तबा बुलाया गया बिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण वादीगण का वाद पत्र खारिज होने व खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो

उप खण्ड अधिकारी
माण्डल